कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा डी–2/2023 दिनांक :– 23-02-2023

1.समस्त संयुक्त निदेशक
2.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय

विषय :– राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग/आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– राजस्थान शिक्षक संघ(शेखावत) के पत्र दिनांक 06.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग/आरोग्य प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक में सम्मिलित हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस लागू हैं। अतः आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक, चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आदेश कमांक प.16(25)एम.ई./ग्रुप–1/1994 दिनांक 18.05.2012 के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण –पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु मान्य है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा डी–2/2023 दिनांक :–

प्रतिलिपि :–

1. श्री श्रवण पुरोहित प्रदेश मंत्री राजस्थान शिक्षक संघ(शेखावत)।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Kumar Jain
Designation: [illegible] Officer
Date: 2023.02.[illegible]:26:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3235130

(१४)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप -1) विभाग

क्रमांक प.16(28)एमई/ग्रुप-1/94

-: : आदेश : :-

जयपुर, दिनांक : 07 MAY 2011

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.06.94 एवं 08.01.1998 क्रम में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना प01(6)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 7.9.2010 के अनुसरण में राजकीय चिकित्सालयो के साथ साथ वित्त विभाग द्वारा जिन निजी चिकित्सालयो को राजकीय कर्मचारियों के उपचार हेतु अधिकृत किया है। उन अधिकृत निजी चिकित्सालयों को निम्नानुसार चिकित्सा-प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

मूल आदेश में अंकित अन्य शर्ते यथावत रहेगी :-

1. किसी बहरिंग रोगी को अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र चिकित्सा परामर्शदाता (Consultant) द्वारा दिया जा सकता है।
2. 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए किन्तु 30 दिवस तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता (Senior Consultant)एवं इससे ऊपर के अधिकारी देने में सक्षम होगे। इसमें मूल अवधि भी शामिल होगे।
3. 30 दिवस से अधिक के लिए किन्तु 45 दिवस तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ (Senior faculty consultant) जो वरिष्ठ विशेषज्ञ/पी0एम0ओ0/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के समान हों एवं क्रम संख्या 2 पर वर्णित अधिकारी यदि प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अस्पताल अधीक्षक एंव समकक्ष अधिकारी से प्रमाणित हो दे सकते है। इसमें मूल अवधि भी शामिल होगी।
4. 45 दिवस से अधिक के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा ही दिया जावेगा इसमे मूल अवधि भी शामिल होगी।
5. अधिकृत निजी चिकित्सालयो के consultant द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपरोक्त शर्तो अनुसार ही मान्य होगे।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज., जयपुर।
9. निदेशक (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज., जयपुर।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर
13. अधीकृत निजी चिकित्सालय
14. रक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव